# विभागों द्वारा पृथक् से जारी किये गये निर्देश

मध्यप्रदेश शासन

# ग्रामीण विकास विभाग

क्र. -3704-92-6-आईआरडी-22-मू., भोपाल, दिनांक 25-2-92

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त,
   मध्यप्रदेश

2. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश

3. समस्त परियोजना अधिकारी,
   जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
   म. प्र.

विषयः—मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन अधिनियम, 1991

मध्यप्रदेश शासन, 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग के पत्र क्रमांक 2610/20 सूत्र/91/43, दिनांक 13 दिसंबर, 91 के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम अधिनियम, 1991 के तहत प्रत्येक योजना की समीक्षा विभिन्न स्तरों पर की जाना है जिसमें निर्देशित किया गया है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसी ग्रामीण विकास विभाग होगी तथा इसका प्रबोधन, समीक्षा का स्तर एवं देखरेख जिला विकासखंड एवं ग्रामीण पंचायत स्तर पर भी किया जावेगा.

2. विभाग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार विषयान्तर्गत कार्यक्रम हेतु ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना— एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्रायसेम, जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, ग्रमीण आवास/भूखंड प्रदाय, दस लाख कुओं की योजना (जीवनधारा), पहुँच मार्गों का निर्माण आदि की समीक्षा जिन-जिन स्तरों पर किन-जिन अधिकारियों द्वारा जिला स्तर, विकासखंड स्तर, ग्राम पंचायत स्तर पर बनाई गई समितियों द्वारा किया जाना है उनका विवरण निम्नानुसार है:-

1. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

| | |
|---|---|
| (1) जिला स्तर पर | (अ) परियोजना अधिकारी द्वारा,<br>(ब) जिला विकास अधिकारी द्वारा, |
| (2) विकास खंड स्तर पर | (अ) विकासखंड अधिकारी द्वारा,<br>(ब) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा, |
| (3) ग्राम पंचायत स्तर पर | (अ) सहायक विकास विस्तार अधिकारी, |

2. ट्रायसेम

| | |
|---|---|
| (1) जिला स्तर पर | (अ) परियोजना अधिकारी द्वारा,<br>(ब) जिला विकास अधिकारी द्वारा, |
| (2) विकास खंड स्तर पर | (अ) विकासखंड अधिकारी द्वारा,<br>(ब) उद्योग निरीक्षक द्वारा, |

3. जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण आवास, जीवन धारा एवं पहुँच मार्ग का निर्माण आदि का जिला स्तर पर परियोजना अधिकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, विकासखंड स्तर पर विकासखंड अधिकारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर सहायक विकास विस्तार अधिकारी करेंगे.

उपर्युक्त समीक्षा की दृष्टि से विस्तृत विवरण संलग्न है.

कृपया निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु सभी संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा प्रगति से समय-समय पर विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें.

हस्ता./-
(विल्फ्रेड लकड़ा)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन ग्रामीण विकास विभाग.

# विभिन्न स्तरों पर (जिला/विकास खण्ड/ग्राम पंचायत) प्रगति की समीक्षा हेतु निर्देश

**सूत्र क्रमांक 1-एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम :**

गरीबी रेखा से नीचे रहकर जीवन यापन करने वाले लक्षित समूह के परिवारों यथा, लघु एवं सीमान्त कृषक, कृषि एवं गैर कृषि श्रमिक ग्रामीण शिल्पी एवं अन्य को अनुदान एवं ऋण की सहायता से स्वरोजगार स्थापित कराकर आय का एक सुनिश्चित स्त्रोत विकसित करने हेतु सहयोग दिया जाता है. लाभान्वित करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि कम से कम 50 प्रतिशत परिवार आ. जा./ज. जा. वर्ग के तथा 40 प्रतिशत महिलायें हो. परिवारों को दी जाने वाली योजना उनकी रुचि स्थानीय आवश्यकता और उपलब्ध संसाधनों के अनुरुप होती है.

(2) वर्ष 91-92 से प्रत्येक जिले के कुल विकास खण्डों की संख्या में से आधे में हितग्राहियों को परियोजना/परिसंपत्ति क्रय करने हेतु स्वीकृत इकाई लागत की धनराशि नगद भुगतान के रूप में दी जा रही है. राशि हितग्राही का खाता खुलवाकर उनके नाम से बैंक में जमा कर दिया जाता है. वह अपनी सुविधानुसार एवं रुचि के अनुसार जहां से उनकी इच्छा हो वहां से परिसंपत्ति क्रय कर सकता है तथा अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकता है.

(3) सहायता के रुप में लघु कृषकों को इकाई लागत का 25 प्रतिशत तथा सीमान्त कृषकों को कृषि श्रमिक, ग्रामीण शिल्पी एवं अन्य परिवारों को इकाई लागत का 33 $^{1}/_{3}$ प्रतिशत राशि शासन की ओर से अनुदान के रुप में दी जाती है. परन्तु अनु. जाति/जनजाति एवं विकलांग परिवारों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है. शेष राशि बैंकों से ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है. अनुदान राशि की अधिकतम सीमा 3000/- रुपये है लेकिन सूखा उन्मुख क्षेत्रों में अर्थात खरगौन, धार, झाबुआ, बैतूल, सीधी एवं शहडोल जिलों के अधिसूचित भागों में अनुदान की अधिकतम सीमा राशि रुपये 4000 है. अनुसूचित जाति, जनजाति तथा विकलांग परिवारों के लिए अनुदान की सीमा सभी जिलों में समान रूप से रुपये 5000 तक है.

(4) प्रत्येक लाभान्वित परिवार लाभान्वित होने के दिनांक से स्वतः सामुहिक बीमा योजना का सदस्य हो जाता है जिसमें हितग्राही को अपनी ओर से कुछ नहीं देना होता. यह बीमा 5 वर्ष अथवा 60 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक लागू माना जाता है. इसके अन्तर्गत लाभान्वित मुखिया की सामान्य मृत्यु होने पर जीवन बीमा निगम की ओर से परिवार के नामांकित सदस्य को रुपये 3000 एवं दुर्घटना से मृत्यु की दशा में रुपये 6000 दिया जाता है, जिससे स्वरोजगार चलाने में बाधा न हो. इसी प्रकार से जिन्हे पशु प्रदाय किये जाते है उनके पशुओं का भी बीमा किया जाता है. पशु की मृत्यु हो जाने की स्थिति में दूसरा पशु क्रय करने हेतु यह राशि बीमा कम्पनी द्वारा दी जाती है.

(5) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष हितग्राहियों को लाभान्वित करने हेतु एक निश्चित लक्ष्य तथा वित्तीय प्रावधान की सूचना प्रत्येक राज्य को दी जाती है. प्रत्येक राज्य सरकार जिलों की ग्रामीण जनसंख्या तथा उसमें अनु. जाति/जनजाति तथा गरीब परिवारों की संख्या को ध्यान मे रखकर लक्ष्य का बंटवारा जिलों को करती है. जिले इन्हें विकास खण्डों में बाट देते हैं. प्रत्येक विकास खण्ड में गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे (अभिज्ञापित) परिवारों की सूची रहती है जो कि विभिन्न आय वर्गों में वर्गीकृत रहती है. सहायता हेतु पहले उन परिवारों को चुना जाता है जो सबसे गरीब होते हैं. सहायता हेतु पहले 3500 रुपये वार्षिक आय वाले तथा उसके पश्चात् 3501-4800 रुपये आय वाले परिवारों को चुना जाता है.

(6) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) हेतु गरीबी रेखा को पुनः परिभाषित किया गया है. वर्ष 91-92 के मूल्य स्तर पर अब यह रुपये 11000/- है. जिन परिवारों की वार्षिक आय, समस्त स्त्रोतों से रुपये 11000/- तक है उन्हें अब गरीबी रेखा से नीचे रह कर जीवन यापन करने वाला परिवार माना जाएगा. गरीब परिवारों की पहचान हेतु जनवरी से मार्च, 92 के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यापक सर्वेक्षण कार्य आयोजित किया जा रहा है. सूची तैयार हो जाने पर इसी सूची को आधार बनाकर परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा. गरीब परिवारों की प्रारुप सूची ग्राम में प्रकाशित प्रचारित की जाएगी और उसे

अनुमोदनार्थ ग्राम सभा की एक विशेष बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा. इस बैठक का व्यापक प्रचार किया जाएगा ताकि इसमें गांव के अधिकाधिक वयस्क लोग भाग ले सकें. इसमें स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, विकास खण्ड स्तरीय कर्मचारियों बैंक के कर्मचारियों/अधिकारियों तथा जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण के द्वारा नामांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को भी भाग लेने के लिए बुलाया जाएगा. ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूची को ग्राम पंचायत तथा विकास खण्ड के नोटिस बोर्ड में प्रदर्शित किया जाएगा. इस सूची में गलत नाम काटने या छूटा हुआ नाम जोड़ने के लिए आपत्तियों प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा. ऐसी आपत्ति का निराकरण परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण करेंगे और तदुपरान्त सूची को अंतिम रुप दिया जाएगा. यही सूची हितग्राहियों की प्रमाणित सूची मानी जाएगी.

उपरोक्त दिशा निर्देश में इस योजना की प्रगति की समीक्षा में निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित है :—

(अ) लक्ष्य परिप्रेक्ष्य में कितने हितग्राही लाभान्वित हुए.

(ब) उनमें से कितने अनु. जाति/जनजाति तथा महिलाएं हैं.

(स) दी गयी सहायता राशि

(1) अनुदान राशि रुपये,
(2) ऋण राशि रुपये,
(3) पूंजी निवेश रुपये,

(द) ऋण किश्तों की अदायगी.

(क) हितग्राहियों को प्रदाय की गयी परिसंपत्ति का स्वरुप तथा गुणवत्ता

(ख) स्वरोजगार से आय में वृद्धि हो रही है.

(ग) असफल इकाईयों की संख्या एवं असफलता के कारण.

## सूत्र क्रमांक-2(1)—जवाहर रोजगार योजना

केन्द्र शासन द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार आश्वासन योजना के स्थान पर 1 अप्रैल 89 से जवाहर रोजगार योजना प्रारम्भ की है. इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और अल्प रोजगार वाले पुरुष तथा महिला दोनों के लिये अतिरिक्त लाभकारी रोजगार का सृजन करते हुये उत्पादक स्वरुप की सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना है. गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे व्यक्ति इस योजना के लक्षित समूह है. इस योजना में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को प्राथमिकता दी जाती है. योजनान्तर्गत 30 प्रतिशत अवसर महिलाओं के रोजगार के लिये आरक्षित है.

2. इस योजना में खर्च को केन्द्र और राज्य के बीच 80:20 के अनुपात में वहन किया जाता है. इस योजना के कुल प्रावधान में से इंदिरा आवास योजना तथा दस लाख कुओं की योजना (जीवनधारा) के लिये निर्धारित राशि को निकालकर शेष राशि में से 80 प्रतिशत राशि पंचायतों को वितरित की जाती है तथा 20 प्रतिशत राशि जिला स्तर पर अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिये सुरक्षित रखी जाती है. ग्राम पंचायतों को राशि का वितरण ग्राम पंचायत की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है. आवंटन में 60 प्रतिशत आवंटन अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति को दिया जाता है तथा 40 प्रतिशत कुल जनसंख्या को दिया जाता है. इस योजना में 15 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को सीधे लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं पर व्यय किया जाता है.

3. इस योजना के अन्तर्गत की गई निधियों को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/पंचायत द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक, डाकघर में अल्प बचत खाते में रखने के निर्देश हैं. ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाते से भुगतान के

लिये रकम चेक द्वारा निकाली जाती है. जिन ग्राम पंचायतों में प्रशासक कार्यरत है उनके चैक पर हस्ताक्षर केवल प्रशासक के होते हैं. जिन ग्राम पंचायतों में निर्वाचित प्रतिनिधि है, उनमें चेक पर हस्ताक्षर पंचायत सचिव व सरपंच अथवा पंच जो भी ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर अधिकृत हो, के होते हैं. पंचायत द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रत्येक राशि को ग्राम पंचायत की बैठक में मंजूर किया जाना आवश्यक है.

4. ग्राम पंचायत स्तर पर संसाधनों का कोई क्षेत्रवार निर्धारण नहीं है, ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र की आवश्यकतानुसार कोई भी कार्य ले सकती है. ग्राम पंचायतों को वार्षिक आवंटन का 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को सीधे लाभ पहुचाने की योजना पर व्यय करना है. ग्राम पंचायत द्वारा वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाती है तथा इसका अनुमोदन जनपद पंचायत से किया जाता है. योजनान्तर्गत लिये जाने वाले कार्यो का चयन करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि मजदूरी घटक पर कम से कम लागत का 60 प्रतिशत व्यय किया जावे. ग्राम पंचायत कार्यों के चयन के लिये स्वतंत्र है. इस योजना में कोई भी कार्य ठेकेदारी पर नहीं लिये जाते. ग्राम पंचायत अधिक से अधिक 10 प्रतिशत राशि परिसंपत्तियों के रख-रखाव पर व्यय कर सकती है.

5. इस योजना की प्रगति की समीक्षा हेतु निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित है :—

(1) वार्षिक कार्य योजना.

(2) निधियों का आवंटन एवं

(3) निर्माण कार्यों की समीक्षा.

## सूत्र क्रमांक 2 (3) (ब) -ट्रायसेम योजना :

**ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार हेतु युवाजनों का प्रशिक्षण :**

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रमुख अंश के रूप में विकसित इस योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे रहकर जीवन यापन करने वाले परिवारों के युवा सदस्यों जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य है, को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित कर स्वरोजगार स्थापित करने हेतु सरकार की ओर से अनुदान एवं बैकों से ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं. प्रशिक्षण कार्यक्रम उनकी रुचि स्थानीय आवश्यकता एवं उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर आयोजित किए जाते हैं. प्रशिक्षण कार्यक्रम मान्य प्रशिक्षण संस्थाओं अथवा कुशल शिल्पियों के माध्यम से क्रियान्वित है. प्रशिक्षण की अवधि सामान्यतः 3-6 माह की होती है. व्यवसाय विशेष की आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण अवधि में वृद्धि या कमी की जा सकती है. प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है तथा प्रशिक्षकों को मानदेय देने की व्यवस्था है. ये निम्नानुसार है :—

**(अ) प्रशिक्षणार्थियों को**

(1) वृत्तिका के रुप में 150 प्रतिमाह यदि प्रशिक्षण उसी गांव में दिया जा रहा है जहां के वे निवासी हे.

(2) वृत्तिका के रुप मे 250 यदि प्रशिक्षण किसी अन्य स्थान पर दिया जा रहा हो तथा प्रशिक्षणार्थी को निःशुल्क आवास उपलब्ध हो.

(3) वृत्तिका के रूप में 300 यदि प्रशिक्षण किसी अन्य स्थान पर दिया जा रहा हो एवं निःशुल्क आवास व्यवस्था नहीं है.

(4) पूरी प्रशिक्षण अवधि के लिए 500 रु. तक कच्चे माल पर व्यय हेतु अथवा 60/- प्रतिमाह की दर से जो भी कम हो.

(5) प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को रु. 600/- तक टूल किट अपने कार्य में दक्षता प्राप्त करने एवं अभ्यास हेतु केवल उन्ही को जो प्रशिक्षण में रुचि ले रहे हो और प्रशिक्षण अवधि का कुछ समय व्यतीत हो गया हो.

**(ब) प्रशिक्षकों को :**

(6) मानदेय के रूप में रु. 100 प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से यदि प्रशिक्षण किसी सस्था द्वारा दिया जा रहा हो.

(7) मानदेय के रूप में रु. 75/- प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से यदि प्रशिक्षण कुशल कारीगर द्वारा दिया जा रहा हो.

प्रशिक्षण अवधि में बनाए गये/निर्मित माल को बेचने से जो आय होती है उसे बराबर-2 प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षणार्थियों में बाट दिये जाने की व्यवस्था है.

प्रत्येक विकास खण्ड मे प्रतिवर्ष कम से कम 60 युवाजनों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है. इसी परिप्रेक्ष्य में प्रगति की समीक्षा की जाती है.

**समीक्षा हेतु बिन्दु :**

(अ) लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में प्रशिक्षित युवाओं की सख्या.

(ब) उपरोक्त मे कितने अ.जा/ज. जा. एवं महिलाएं हैं.

(स) प्रशिक्षितों मे से कितनों ने स्वरोजगार स्थापित किया.

(द) प्रशिक्षितों में कितने लोग कुशल कारीगर के रूप में रोजगार में लगे.

(क) प्रशिक्षणरत युवाओं की सख्या.

(ख) प्रशिक्षण पर कितना व्यय हुआ :—

(1) वृत्ति कर पर रुपये

(2) प्रशिक्षको के मानदेयक पर रुपये

(3) टूलकिट पर रुपये

(4) कच्चे माल पर रुपये

(5) अन्य पर रुपये

यह समीक्षा जिला तथा विकास खण्ड स्तर पर ही संभव है.

## सूत्र क्रमांक 7 (3) इंदिरा आवास योजना :

इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना का एक अंग है. इस योजना के अन्तर्गत पृथक से राशि का निर्धारण किया जाता है जो कि जवाहर रोजगार योजना के कुल प्रावधान में से ही होती है. योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगो को निःशुल्क आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. वर्ष 1990-91 से इस योजना के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि आवास के लिये स्थल चयन स्वयं हितग्राही द्वारा किया जायेगा तथा आवास निर्माण का कार्य भी स्वयं हितग्राही ग्राम पंचायत की देख-रेख में करेगा. मकान निर्माण की देख-रेख तथा पूर्ण कराने की जिम्मेदारी संबंधित पंचायत की होती है. तकनीकी सहायता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा उपलब्ध कराई जाती है. हितग्राही को मकान निर्माण हेतु रुपये 6000/- की राशि विकास खण्ड अधिकारी द्वारा चार किश्तों में प्रदान कराई जाती है. आवास निर्माण की सुनिश्चितता के लिये विकास खण्ड अधिकारी को वित्तीय वर्ष के अंत मे प्रत्येक हितग्राही के लिये अलग-अलग उपयोगिता प्रमाण-पत्र देना होता है.

इस योजना की प्रगति की समीक्षा में निम्न बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित है :—

(1) हितग्राहियों को पात्रता.
(2) हितग्राहियों का चयन.
(3) योजना में प्राप्त आवंटन एवं व्यय.
(4) कुटीरों के निर्माण कार्यो की प्रगति एवं निर्माण कार्यो की समीक्षा.

## सूत्र क्रमांक 7 (4) ग्रामीण आवास योजना :

इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण भूमिहीन, आवासहीन, कृषक मजदूर एवं ग्रामीण शिल्पियों को निःशुल्क भूखण्ड उपलब्ध कराये जाते है. योजना के क्रियान्वयन हेतु शासकीय भूमि उपलब्ध कराई जाती है, किन्तु जहां शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं है वहां प्राईवेट भूमि का अधिग्रहण किया जाता है. योजना अंतर्गत हितग्राहियों को 900 वर्ग फिट (30x30) का भूखण्ड उपलब्ध कराया जाता है और यदि अधिक उपलब्ध हो तो 600 वर्ग फिट (30x20) अतिरिक्त भूमि वाड़ी के लिये उपलब्ध कराई जाती है.

वर्ष 1990-91 तक इस योजना मे रुपये 2500/- हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिये उपलब्ध कराये जाते थे. वर्ष 1991-92 से इस राशि को बढ़ाकर रुपये 4000 कर दिया गया है.

योजना में प्रगति की समीक्षा निम्न बिन्दुओं के माध्यम से की जा सकती है :—

(अ) प्राप्त आवंटन एवं व्यय.

(ब) हितग्राहियों का चयन.

(स) कुटिरों के निर्माण कार्यो की प्रगति.

(द) भूखण्ड आवंटन कार्यो की समीक्षा.

## सूत्र क्रमांक 13 (1) दस लाख कुओं की योजना (जीवनधारा कार्यक्रम) :

यह योजना जवाहर रोजगार योजना का एक अंग है. इस योजना के अंतर्गत पृथक से राशि का निर्धारण किया जाता है जो कि जवाहर रोजगार के कुल प्रावधान में सम्मिलित रहती है. इस योजना का उद्देस्य गरीबी रेखा के नीचे बसर कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा विमुक्त बंधुआ मजदुरों के लिये छोटे व सीमांत किसानों को निःशुल्क सिंचाई हेतु खुले कुयें उपलब्ध कराये जाते है. इस योजना में यह व्यवस्था है कि जिन क्षेत्रों में भू-जल उपलब्ध नहीं है (अर्थात जो क्षेत्र "ग्रे" या "डार्क" क्षेत्र माने जाते है) अथवा जहां कुओं का निर्माण भौगोलिक कारणों से संभव नहीं है वहाँ पानी संग्रहण के अन्य कार्य, जैसे तालाब, स्टापडेम आदि लिये जा सकते है बशर्ते उनका लाभ सीमांत और छोटे अनुसूचित जाति/जन जाति

के किसानों को मिले. योजना की प्रगति की समीक्षा निम्न बिन्दुओं के माध्यम से की जा सकती है :—

(अ) लक्ष्यों का निर्धारण.

(ब) हितग्राहियों का चयन.

(स) निर्माण कार्य की प्रगति.

(द) जल उठान साधन उपलब्ध कराने के कार्य की समीक्षा.

## सूत्र क्रमांक 16— पहुंच मार्गों का निर्माण :

पहुंच मार्गों के निर्माण का क्रियान्वयन जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत किया जाता है. इस योजना के लिये पृथक से कोई राशि निर्धारित नहीं होती है. वर्ष 1990-91 से इस योजना के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि जो ग्राम पंचायत मुख्यालय मुख्य मार्ग से सड़क द्वारा नहीं जुड़ा हुआ है उसे मुख्य मार्ग से सड़क द्वारा जोड़ा जावे.

इस योजना की प्रगति की समीक्षा निम्न बिन्दुओं के माध्यम से की जा सकती है :—

(अ) ग्राम पंचायत मुख्यालय को सड़क से जोड़ने का कार्य प्रारंभ किया गया अथवा नहीं.

(ब) पहुँच मार्ग के निर्माण के कार्य की समीक्षा.

---

## ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित सूत्रों की समीक्षा (सारांश)

| सूत्र क्र. | योजना का नाम | अधिकारी | | |
|---|---|---|---|---|
| | | जिला स्तर | विकासखंड स्तर | ग्राम पंचायत स्तर |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| सूत्र क्र. 1 | एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 1. परियोजना अधिकारी<br>2. जिला विकास अधिकारी | 1. विकास खंड अधिकारी<br>2. अनुविभागीय अधिकारी | 1. सहायक विकास विस्तार अधिकारी |
| | प्रगति की समीक्षा | 1. कार्य योजना के परिप्रेक्ष्य में उपलब्धि, लक्ष्यों का निर्धारण | 1. लक्ष्यों का निर्धारण हित-ग्राहियों का चयन | 1. हितग्राहियों के चयन का अनुमोदन |
| | | (अ) लाभांवित हितग्राही | (अ) लाभांवित हितग्राही | (अ) लाभांवित हितग्राही |
| | | (ब) उपरोक्त में अ.जा./ ज.जा. | (ब) उपरोक्त में अ.जा./ ज.जा. | (ब) दी गई सहायता राशि |
| | | (स) लाभांवित में महिलाएं | (स) लाभांवित में महिलाएं | (स) अनुदान रु. ऋण रु. |
| | | (द) दी गई सहायता राशि अनुदान रु. ऋण रु. | (द) दी गई सहायता राशि अनुदान रु. ऋण रु. | |
| | | (क) क्या ऋण किश्तों की अदायगी कर रहे हैं (संख्या) | (क) क्या ऋण किश्तों की अदायगी कर रहे है (संख्या) | (क) क्या ऋण किश्तों की अदायगी कर रहे हैं (संख्या) |
| | | (ख) हितग्राहियों को प्रदाय की गई संपत्ति की गुणवत्ता | (ख) हितग्राहियों को प्रदाय की गई संपत्ति की गुणवत्ता | (ख) हितग्राहियों को प्रदाय की गई संपत्ति की गुणवत्ता |
| | | (ग) स्वरोजगार स्थापित हित-ग्राहियों की आय में वृद्धि व जीवन में सुधार हुआ | (ग) स्वरोजगार स्थापित हित-ग्राहियों की आय मे वृद्धि व जीवन में सुधार हुआ | (ग) स्वरोजगार स्थापित हितग्राहियों की आय में वृद्धि व जीवन में सुधार हुआ |
| | | (घ) असफल इकाईयों की संख्या एवं असफलता के कारण | (घ) असफल इकाईयों की संख्या एवं असफलता के कारण | (घ) असफल इकाईयों की संख्या व असफलता के कारण |
| | | (च) क्या सभी हितग्राहियों को योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता है | (च) क्या सभी हितग्राहियों को योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता है | (च) क्या सभी हित-ग्राहियों को योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता है |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| सूत्र क्र. 2 (1) | जवाहर रोजगार योजना | परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. | विकास खंड अधिकारी | सहायक विकास विस्तार अधिकारी |
| | | 1. जिले की कार्य योजना | 1. विकासखंड़ की कार्य-योजना | 1. ग्राम पंचायत की कार्ययोजना |
| | | 2. आवंटन एवं व्यय | 2. पंचायतों को प्रदत्त आवंटन एवं उनके द्वारा किये जा रहे व्यय की समीक्षा | 2. पंचायत को प्राप्त आवंटन एवं व्यय की समीक्षा |
| | | 3. निर्माण कार्य | 3. निर्माण कार्यों की समीक्षा | 3. निर्माण कार्यों की समीक्षा. |
| 2 (3) (ब) | ट्रायसेम योजना | 1. परियोजना अधिकारी<br>2. जिला विकास अधिकारी | 1. विकास खंड अधिकारी<br>2. उद्योग निरीक्षक | |
| | प्रगति की समीक्षा | 1. लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में उपलब्धि | 1. लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में उपलब्धि | |
| | | (अ) प्रशिक्षित युवजनों की संख्या | (अ) प्रशिक्षित युवजनों की संख्या | |
| | | (ब) उपरोक्त में स्वरोजगार स्थापित करनेवालों की संख्या | (ब) उपरोक्त में स्वरोजगार स्थापित करनेवालों की संख्या | |
| | | (स) प्रशिक्षितों में से स्वरोजगार में लगे | (स) प्रशिक्षितों में स्वरोजगार में लगे | |
| | | (द) प्रशिक्षण संख्या | (द) प्रशिक्षण संख्या | |
| | | (क) प्रशिक्षण पर व्यय रु. | (क) प्रशिक्षण पर व्यय रु. | |
| | | 1. वजीफा राशि पर रु. | 1. वजीफा राशि पर रु. | |
| | | 2. प्रशिक्षकों पर रु. | 2. प्रशिक्षकों पर रु. | |
| | | 3. टूलकिट पर रु. | 3. टूलकिट पर रु. | |
| | | 4. कच्चे माल पर रु. | 4. कच्चे माल पर रु. | |
| | | 5. अन्य पर रु. | 5. अन्य पर रु. | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| | | (ख) ऐसे कितने लोग हैं जो प्रशिक्षण उपरांत अभी तक लाभान्वित नहीं हो सके हैं. कारण ? | (ख) ऐसे कितने लोग हैं जो प्रशिक्षण उपरांत अभी तक लाभान्वित नहीं हो सके हैं. कारण ? | |
| 7 (3) | इंदिरा आवास योजना | परियोजना अधिकारी, डी.आर.डी.ए. | विकासखंड अधिकारी | सहायक विकास विस्तार अधिकारी |
| | | 1. इंदिरा आवास योजना के आवंटन एवं व्यय की समीक्षा | 1. विकासखंड स्तर पर प्राप्त लक्ष्य एवं व्यय की समीक्षा | 1. पात्र हितग्राहियों की सूची तैयार करना |
| | | 2. कुटीरों के निर्माण कार्यों की स्थिति/प्रगति | 2. विकासखंड के लिये हित-ग्राहियों के चयन का अनुमोदन | 2. हितग्राहियों द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा |
| | | | 3. कार्यों की प्रगति की समीक्षा | 3. हितग्राहियों के चयन का अनुमोदन |
| 7 (4) | ग्रामीण आवास | 1. जिले में प्राप्त आवंटन एवं प्रगति की समीक्षा | 1. विकासखंड स्तर पर प्राप्त लक्ष्य एवं व्यय की समीक्षा | 1. कुटीर निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा |
| | | 2. कुटीरों के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा | 2. हितग्राहियों के चयन का अनुमोदन | 2. भूखंड आवंटन के कार्य की समीक्षा |
| | | 3. भूखंड आवंटन कार्य की समीक्षा | 3. कार्य की भौतिक प्रगति की समीक्षा | 3. हितग्राहियों के चयन का अनुमोदन |
| | | | 4. भूखंड आवंटन कार्य की समीक्षा | |
| 13 (1) | निःशुल्क कुओं की व्यवस्था (जीवनधारा) | जिले का विकासखंडवार लक्ष्य निर्धारण | 1. विकासखंड के लक्ष्य अनुसार हितग्राहियों का चयन | 1. हितग्राहियों द्वारा निर्मित किये जा रहे कूप निर्माण कार्य की समीक्षा |
| | | 2. पात्र हितग्राहियों की विकास खंडवार सूची में से लक्ष्यों के अनुसार चयन करना | 2. हितग्राहियों में कुआं निर्माण कार्य की समीक्षा | 2. जल उठान साधन उपलब्ध कराने तथा योजना के लाभान्वित को योजना में अधिकतम लाभ हेतु समझाईश देना |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| | | 3. कुंआ निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा | 3. जल उठान संसाधन उपलब्ध कराने के कार्य की समीक्षा | 3. हितग्राहियों के चयन का अनुमोदन |
| | | 4. हितग्राहियों को जल उठान साधन उपलब्ध कराने के कार्य की समीक्षा | 4. योजना के अधिकतम लाभ हेतु हितग्राहियों को समझाईश देना | |
| | | 5. योजना के अधिकतम लाभ हेतु हितग्राहियों को समझाईश देना | | |
| 16. | पहुंच मार्ग का निर्माण | 1. पहुंच मार्ग निर्माण कार्य की समीक्षा | 1. ग्राम पंचायत मुख्यालय को सड़क से जोड़ने के कार्य की योजना एवं निर्माण कार्य की समीक्षा | 1. ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित किये जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा |

मध्यप्रदेश शासन

## स्कूल शिक्षा विभाग

क्र. 275-37-20-2-92- भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 1992

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा,
   मध्यप्रदेश
2. समस्त उप संचालक, शिक्षा,
   मध्यप्रदेश

**विषय** :—मध्यप्रदेश दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम का क्रियान्वयन अधिनियम 1991.

राज्य शासन द्वारा प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीब वर्ग के लोगों के उत्थान की दृष्टि से 16 विभिन्न कार्यक्रम लागू करना निश्चित किया गया है. ये कार्यक्रम विभिन्न विभागों द्वारा लागू किये जावेंगे.

2. इस योजना का 10वां कार्यक्रम स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित है जिसका विवरण संलग्न है.

3. जैसा कि विवरण से स्पष्ट है, विभाग को 6 से 14 वर्ष आयु समूह बच्चों के लिये अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना है. प्रत्येक स्कूल में पहली कक्षा में दर्ज संख्या का लक्ष्य् निर्धारित करना और लक्ष्य निर्धारण में बालिकाओं का अलग प्रतिशत निर्धारित करते हुए लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करना, छात्रों द्वारा पहली से तीसरी कक्षा तक स्कूल छोड़ने के कारणों की समीक्षा करते हुए उनका समाधान करने का प्रयत्न करना, सभी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था करना ऐसी बस्तियां जहां प्राथमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है वहां जूनियर प्रायमरी स्कूल या प्रायमरी स्कूल या औपचारिकेतर केन्द्र खोलने की व्यवस्था करना, 6टी कक्षा में दर्ज संख्या लक्ष्य निर्धारित करना तथा व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों की समीक्षा करना इस कार्यक्रम के मुख्य कार्य है.

4. उपर्युक्त कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से लागू कराने और उसकी निरंतर समीक्षा कर लक्ष्यों की उपलब्धि की दिशा में अग्रसर होते रहने के लिये ग्राम पंचायत, विकास खण्ड एवं जिला स्तर पर तथा राज्य स्तर पर समितियां गठित होंगी और प्रत्येक स्तर की समिति उसे सौंपे गये कार्यों की समीक्षा करेगी. स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यक्रम के लिये विभिन्न स्तरों पर समितियों के लिये निर्देशानुसार फार्म रेखांकित किये जाना प्रस्तावित है :—

### प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम

| विषय | समीक्षा समिति | बैठक में उपस्थित (शिक्षा विभाग) | फालोअप अधिकारी |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम | | | |
| (अ) पहली कक्षा में इनरोलमेन्ट (लक्ष्य निर्धारण) | ग्राम पंचायत स्तरीय समिति | संबंधित प्राथमिक शाला के प्रधानाध्यापक बैठक में भाग लेंगे | विकासखंड शिक्षा अधिकारी |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| (ब) कुल इनरोलमेन्ट में छात्राओं का प्रतिशत | | | |
| (स) पहली से तीसरी कक्षा तक स्कूल छोड़ने के कारणों की समीक्षा | | | |
| मिडिल शिक्षा | | | |
| (द) छटवीं कक्षा में इनरोलमेन्ट (लक्ष्य निर्धारण) | ग्राम पंचायत स्तरीय समिति | संबंधित माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक | विकासखंड शिक्षा अधिकारी |
| (इ) सभी प्राथमिक शालाओं में शिक्षकों की व्यवस्था | ब्लाक स्तरीय समिति | विकास खंड शिक्षा अधिकारी | उप संचालक शिक्षा |
| (ई) ऐसी बस्तियां/बसाहतें जहां वर्तमान में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, वहां नये प्राथमिक, जूनियर प्राथमिक स्कूल खोलना या औपचारि-केत्तर केन्द्र खोलने की व्यवस्था | | | |
| सभी छः (अ से ई तक) कार्यक्रम तथा | | | |
| (उ) व्यवसायिक शिक्षा के कार्यक्रम | जिला स्तरीय समिति | 1. उप संचालक शिक्षा<br>2, विद्यालयों से संबंधित प्राचार्य | संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग |

5. इस संदर्भ में उपर्युक्त कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से संचालित करने के लिये निर्देश दिये जाते हैं कि आप समस्त संबंधित अधिकारियों को अपने स्तर से भी समुचित निर्देश प्रसारित कर दें कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के कार्यान्वियन में उन्हें सौपे जा रहे उत्तरदायित्व का पूरी सजगता के साथ निर्वहन करें. इसी तारतम्य में यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि आप भी इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन की दिशा में नियमित रूप से विभिन्न स्तरीय समितियों द्वारा की गई समीक्षा और दिये निर्देशों के पालन हेतु उचित व्यवस्था करें ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके. इसके लिये निम्नानुसार कारवाई निर्देशित की जाती है.

(1) इस वर्ष शिक्षण सत्र समाप्त होने से पहले प्रत्येक प्रायमरी स्कूल के पोषण क्षेत्र में पांच वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का तथा शिक्षण सत्र समाप्त होने पर प्रत्येक मिडिल स्कूल के आसपास के प्रायमरी स्कूलों में कक्षा 5 पास करने वाले बच्चों का सर्वेक्षण किया जाय.

(2) उन सभी बच्चों को जुलाई में स्कूल लाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए स्कूल खुलने पर उनके पालकों से सम्पर्क साधकर स्कूल में लाने का प्रयास किया जाये.

(3) बालिकाओं को स्कूल में भेजने के लिये पालकों को बालिका शिक्षा का महत्व समझाते हुए बालिकाओं को स्कूल में लाने के विशेष प्रयास किये जायें.

(4) प्रत्येक प्रायमरी तथा मिडिल स्कूल में कितने बालक तथा बालिकाओं को लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इसकी जानकारी प्रत्येक विद्यालय द्वारा उसके क्षेत्र के सहायक जिला शाला निरीक्षक को दी जाय जो अपने-अपने क्षेत्र की जानकारी विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी को देंगे और विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यालय को तथा जिला कार्यालय संचालनालय को यह जानकारी देंगे. संचालनालय में यह जानकारी अगस्त के प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से भेज दी जाये.

(5) जुलाई में स्कूल खुलने पर छात्रों को स्कूलों में प्रवेश देने की कार्रवाई की जाये तथा 30 सितम्बर की स्थिति में निर्धारित लक्ष्य के विपरीत कितने छात्र विद्यालयों में भरती किये गये हैं इसकी जानकारी पुनः उपरोक्त बताई व्यवस्था के अनुसार संचालनालय को अक्टूम्बर के प्रथम सप्ताह तक अनिवार्य रूप से भेजी जाये.

(6) जहां तक प्राथमिक शालाओं में शिक्षकों की उचित व्यवस्था का प्रश्न है, यह प्रशासनिक जिम्मेवारी है और इसके लिये आपका उत्तरदायित्व प्रथम बनता है. अतः जिला स्तरीय समितियों की बैठकों में आपकी उपस्थिति जरूरी है. कृपया इस व्यवस्था के लिये नियमित रूप से समीक्षा से उभरे प्रश्नों का निराकरण करते रहें.

(7) चूंकि प्राथमिक स्तर के शिक्षा के सर्वीकरण की दिशा में यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इन सभी विषयों पर निरंतर आवश्यक कार्रवाई करते रहेंगे और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रयास करेंगे. हम यह अपेक्षा करेंगे कि आप प्रति माह सभी स्तर की समितियों द्वारा की गई समीक्षा और आपके द्वारा किये गये फालोअप का एक प्रतिवेदन संचालनालय को भेजेंगे.

हस्ता./-
(एस. पी. दुबे)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्र.-275-37-20-2-92 भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 92

प्रतिलिपि :—

(1) आयुक्त लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु.

हस्ता./-
(जी. पी. मरकाम)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

## मध्यप्रदेश शासन

## लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

क्रमांक एफ-16-3-34-2-92 भोपाल, दिनांक 4 फरवरी/26 फरवरी 1992

प्रति,

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
मध्यप्रदेश भोपाल

**विषय** :—मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन अधिनियम, 1991.

राज्य शासन के दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने संबंधी इस विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किये जाने हैं :—

(1) समस्यामूलक ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना.
(2) अनुसूचित जाति की बस्तियों में स्वतंत्र पेयजल की व्यवस्था.
(3) आदिवासी टोले मजरों में पेयजल की व्यवस्था.
(4) हैंडपंप के जल का परीक्षण.
(5) बिगड़े हैंडपंपों के लिए मैकेनिक से संपर्क की कारगर व्यवस्था

2. आदेशानुसार इन कार्यक्रमों के लिए गठित जिला स्तर की समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए संबंधित कार्यपालन यंत्रियों को नामांकित किया जाता है. इसी प्रकार ब्लाक स्तर की समिति के लिए संबंधित सहायक यंत्री को नामांकित किया जाता है. यह कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है अतः इस ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया जाए.

3. वरिष्ठ स्तर पर संबंधित क्षेत्र के अधीक्षण यंत्री इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्माण आदि की गतिविधियों के फालो-अप करायेंगे तथा मुख्य अभियंता के जरिये समय-समय पर शासन को भी अवगत करायेंगे.

हस्ता./-
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ. क्र. एफ. 16-3-34-2-92 भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 1992

प्रतिलिपि :—

(1) समस्त मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म. प्र.
(2) समस्त अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंडल, म. प्र.
(3) समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड म. प्र.

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मध्यप्रदेश शासन

ऊर्जा विभाग

क्रमांक 452-7256-18-91 भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 1992

प्रति,

सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
20 सूत्र कार्यान्वयन विभाग
सचिवालय, भोपाल

**विषय** :—मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम अधिनियम, 1991.

**संदर्भ** :—इस विभाग का पत्र 5455-7250-13-91, दिनांक 19-12-91.

उपरोक्त पत्र के तारतम्य में दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं की जो समीक्षा की जाना है उसके अन्तर्गत ऊर्जा विभाग से संबंधित केवल ग्रामीण विद्युतीकरण एवं पंप ऊर्जीकरण की ही समीक्षा प्रस्तावित है. इस समीक्षा के लिये कार्यान्वयन एजेंसी, समीक्षा किये जाने का स्तर, आदि निम्नानुसार रहेगा, जिसके लिये मध्यप्रदेश विद्युत मंडल को भी निर्देश दिये जा रहे हैं—

| क्रमांक | कार्यक्रम | कार्यान्वयन एजेंसी | प्रबोधन समीक्षा एवं देखरेख |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | ग्रामीण विद्युतीकरण | सहायक अभियंता (संचालन एवं संधारण) म. प्र. विद्युत मंडल | जनपद पंचायत के स्तर पर |
| 2. | पंप ऊर्जीकरण | सहायक अभियंता (संचालन एवं संधारण) म. प्र. विद्युत मंडल | जनपद पंचायत के स्तर पर |

2. उपरोक्त समीक्षा के लिये मध्यप्रदेश विद्युत मंडल को निम्नलिखित कार्यवाही करनी है—

(1) मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के हर संचालन/संधारण स्तर के कार्यपालन यंत्री सभी विकास खंड अधिकारियों को विकास खंड से संबंधित सहायक अभियंता का नाम सूचित करेंगे ताकि जब भी विकासखंड अधिकारी अंत्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत समीक्षा हेतु बैठक बुलायें तो उसमें सहायक अभियंता विद्युत मंडल को भी भाग लेने हेतु सूचित करें.

(2) प्रत्येक विकास खंड से संबंधित मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के सहायक अभियंता, विकास खंड अधिकारी से संपर्क बनाये रखेंगे एवं बुलायी गयी बैठकों में ग्रामीण विद्युतीकरण एवं पंप ऊर्जीकरण की समीक्षा हेतु भाग लेंगे. यदि किसी विकास खंड से संबंधित सहायक यंत्री का पद रिक्त हो या किसी अन्य अपरिहार्य कारणों से सहायक

यंत्री बैठक में उपस्थित न हो पाये तो बैठक में मंडल का प्रतिनिधित्व विकास खंड मुख्यालय पर स्थित वितरण केन्द्र के कनिष्ठ यंत्री द्वारा किया जावेगा. सहायक यंत्री/कनिष्ठ यंत्री मध्यप्रदेश विद्युत मंडल संबंधित बैठक में किये गये निर्णयों की जानकारी तुरंत संभागीय यंत्री को भेजेंगे.

(3) समिति की बैठकों में लिये गये निर्णयों पर अनुवर्ती (फालो-अप) संभागीय अभियंता मध्यप्रदेश विद्युत मंडल द्वारा की जावेगी.

(4) जहां तक जिला स्तरीय समिति का प्रश्न है उसकी बैठकों में मंडल की ओर से ऐसे सभी संभागीय यंत्री (संचालन/संधारण) भाग लेंगे जिनके कार्यक्षेत्र उस जिले में पड़ते है.

हस्ता./-
(न. ब. लोहनी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग

पृ. क्र. भोपाल, दिनांक . . . . . .

प्रतिलिपि :—

सचिव, मध्यप्रदेश विद्युत मंडल, जबलपुर को अग्रेषित. दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत समीक्षा हेतु कृपया उपरोक्तानुसार निर्देश मंडल के फील्ड अधिकारियों को देने का कष्ट करें.

मंडल के संबंधित अधिकारी, कलेक्टर/विकास खंड अधिकारियों से निरंतर संपर्क रखें और जिला तथा विकास खंड स्तर पर बुलाई गई बैठकों में अवश्य भाग लें.

हस्ता./-
(न. ब. लोहनी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग

मध्यप्रदेश शासन

## जल संसाधन विभाग

क्रमांक 22-59-91-लसिं.-31 भोपाल, दिनांक 17 मार्च 1992

प्रति,

मुख्य अभियन्ता,
नलकूप एवं उद्‌वहन सिंचाई,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल

**विषय** :—मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन अधिनियम, 1991.

दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम के सूत्र क्रमांक 13-जीवनधारा कार्यक्रम के अंतर्गत "सिंचाई के लिए किसानों के निजी नलकूपों का निर्माण" के कार्यान्वियन हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :—

1. जिला स्तर की अंन्त्योदय समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए नलकूप निर्माण संभाग के कार्यपालन यंत्री तथा संबंधित संभागीय यंत्री, म.प्र. विद्युत मण्डल को अधिकृत किया जाता है.

2. समिति द्वारा लिये निर्णयों का फालोअप वरिष्ठ स्तर पर मुख्य अभियन्ता, नलकूप एवं उद्‌वहन सिंचाई जल संसाधन विभाग, द्वारा किया जायेगा.

3. योजना में प्रगति की समीक्षा निम्न बिन्दुओं के माध्यम से की जा सकती है :—

(क) योजना के परिप्रेक्ष्य में उपलब्धि क्या रही.

(ख) असफल नलकूपों की संख्या व असफलता के कारण.

(ग) पात्र हितग्राही का चयन हुआ है अथवा नहीं.

हस्ता./-
(वी. के. सिलाकारी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग

पृ. क्र. 22-59-91-लसिं.-31 भोपाल, दिनांक 17 मार्च 1992

प्रतिलिपि :—

(1) सचिव, ऊर्जा विभाग, कृपया संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश दें.
(2) समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश.
(3) समस्त कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश.

हस्ता./-
(वी. के. सिलाकारी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग

मध्यप्रदेश शासन

## लोक निर्माण विभाग

क्रमांक 8416-11127-19-यो-91 भोपाल, दिनांक 26 दिसंबर 1991

प्रति,

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग,
भोपाल.

विषय :—मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन अधिनियम, 1991.

राज्य शासन द्वारा दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत इस विभाग के अन्तर्गत केवल ग्रामीण पहुंच मार्गो का निर्माण कार्य आता है. अतः आदेशानुसार निर्देशित किया जाता है कि इस कार्यक्रम के लिए गठित जिला स्तर की समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए कार्यपालन यंत्रियों को नामांकित किया जाता है. यह कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है.

2. वरिष्ठ स्तर पर संबंधित क्षेत्र के मुख्य अभियंता इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण आदि की गतिविधियों के फालो-अप करायेंगे तथा समय-समय पर शासन को भी अवगत करावेंगे.

हस्ता./-
(जी. डी. जौहरी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग.

पृ. क्र. 4817-11127-19-यो-91 भोपाल, दिनांक 26 दिसंबर 1991

प्रतिलिपि :—

(1) समस्त मुख्य अभियंता (मुख्य अभियंता, रा. रा., को छोड़कर) लोक निर्माण विभाग, (म. प्र.)

(2) समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग (म. प्र.)
(रा. रा. मंडल को छोड़कर)

(3) समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (म. प्र.)
(रा. रा. संभाग को छोड़कर)

को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग.

मध्यप्रदेश शासन

## लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

### दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम-विभिन्न स्तरों पर (जिला/नगर/विकासखंड/ग्राम पंचायत)

प्रगति की समीक्षा हेतु निर्देश

| जिला स्तरीय (1) | खण्ड स्तरीय अधिकारी (2) |
|---|---|
| मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी | प्रभारी खंड चिकित्सा अधिकारी |
| 1. नसबंदी लक्ष्य जिले का | 1. लक्ष्य खंड स्तर |
| 2. लक्ष्य संस्थावार पूरे जिले का | 2. लक्ष्य संस्थावार पूरे खंड का |
| 3. उपलब्धि जिले की उपलब्धि-नसबन्दी/आई. यू. डी./ सी. सी./ओ. पी. | 3. उपलब्धि खंड की नसबन्दी-आई. यू. डी./सी. सी./ ओ. पी. |
| 4. दिशा निर्देश शिविर केलेन्डर-स्थान/दिनांक | 4. दिशा निर्देश शिविर-स्थान दिनांक |

### टीकाकरण कार्यक्रम

| जिला स्तरीय (1) | खण्ड स्तरीय (2) | ग्राम पंचायत स्तरीय (3) |
|---|---|---|
| जिला टीकाकरण अधिकारी | प्रभारी खण्ड चिकित्सा अधिकारी | बहुद्देशीय कार्यकर्ता (पुरुष अथवा महिला) |
| 1. जिलेवार टीकाकरण के लक्ष्य/उपलब्धियां | 1. खण्डवार टीकाकरण के लक्ष्य/उपलब्धियां | 1. ग्रामवार टीकाकरण के लक्ष्य/ उपलब्धियां |
| 2. टीकाकरण के विशेष शिविर स्थान/समय/दिनांक | 2. टीकाकरण के विशेष शिविर/स्थान/समय/दिनांक | 2. टीकाकरण के विशेष शिविर/स्थान/समय/दिनांक |

### वात्सल्य योजना की समीक्षा

| जिला स्तरीय (1) | खण्ड स्तरीय (2) |
|---|---|
| मुख्य चिकित्सा अधिकारी | प्रभारी खंड चिकित्सा अधिकारी |
| 1. जिले में गर्भवती माताओं की अनुमानित संख्या/पंजीकृत माताओं की संख्या/प्रथम और दूसरे प्रसव वाले माताओं की संख्या/ वात्सल्य योजना से लाभान्वित होने वाली माताओं की संख्या, संस्थागत प्रसव की संख्या. | 1. खण्ड में अनुमानित गर्भवती माताओं की संख्या/पंजीकृत माताओं की संख्या/प्रथम और दूसरे प्रसव वाले माताओं की संख्या/ वात्सल्य योजना से लाभान्वित होने वाली माताओं की संख्या, संस्थागत प्रसव की संख्या. |

## मलेरिया कार्यक्रम

| जिला स्तरीय | खण्ड स्तरीय |
|---|---|
| 1. सर्वेलेंस संबंधी लक्ष्य/उपलब्धि/पाजीटिव/ रेडिकल इलाज. | 1. सर्वेलेंस संबंधी लक्ष्य/उपलब्धि/पाजीटिव/ रेडिकल इलाज. |
| 2. अधिक प्रकोप वाले क्षेत्रों में विशेष अभियान/फोकल स्प्रे/रेपिड फीवर सर्वे. | 2. अधिक प्रकोप वाले क्षेत्रों में विशेष अभियान/फोकल स्प्रे/रेपिड फीवर सर्वे. |

## टी. बी. की मानीटरिंग

| जिला स्तरीय | खण्ड स्तरीय |
|---|---|
| जिला टी. बी. अधिकारी | खण्ड जिला अधिकारी |
| 1. जिले का लक्ष्य-खकार पट्टी/नये रोगियों की खोज/उपलब्धि. | 1. खण्ड स्तर पर खकार पट्टी/नये रोगियों की खोज/उपलब्धि. |
| 2. जिले में उपचार प्राप्त करने वाले सभी रोगियों की संख्या/खण्डवार/संस्थावार. | 2. खण्ड में उपचार प्राप्त करने वाले सभी रोगियों की संख्या/संस्थावार/ग्रामवार. |

## कुष्ठ रोग

| जिला स्तरीय | खण्ड स्तरीय |
|---|---|
| जिला कुष्ठ अधिकारी | नान मेडिकल असिस्टेन्ट खण्ड चिकित्सा अधिकारी |
| 1. कुष्ठ रोगियों की पहचान के लिये सर्वे का कार्य जिले का/खण्ड/ग्रामवार. | 1. खण्ड पर सर्वे कार्य/सर्वे के ग्रामों की संख्या, मान चित्र पर दर्शायें. |
| 2. ग्रामवार पाये हुए रोगियों की संख्या जिले में/खण्डवार. | 2. खण्ड में पाये हुए रोगियों की संख्या ग्रामवार. |
| 3. जिले में उपचार प्राप्त करने वाले रोगियों की संख्या-खण्डवार. | 3. खण्ड में उपचार प्राप्त करने वाले रोगियों की संख्या-संस्थावार/ग्रामवार. |
| 4. रोगमुक्त रोगियों की संख्या | 4. रोगमुक्त रोगियों की संख्या. |

## अंधत्व निवारण

| जिला स्तरीय | खण्ड स्तरीय |
|---|---|
| नेत्र विशेषज्ञ | खण्ड चिकित्सा अधिकारी |
| 1. जिले में अंधत्व पीडित व्यक्तियों की संख्या खण्डवार/ग्रामवार. | 1. खण्ड में अंधत्व पीडित व्यक्तियों की संख्या संस्थावार/ग्रामवार. |
| 2. जिले में मोतियाबिन्द के रोगियों की संख्या. | 2. खण्ड में मोतियाबिन्द के रोगियों की संख्या. |
| 3. स्कूली बच्चों का नेत्र परीक्षण पूर्ण जानकारी. | 3. स्कूली बच्चों का नेत्र परीक्षण पूर्ण जानकारी. |
| 4. चश्मे की आवश्यकता वाले बच्चो की संख्या. | 4. चश्मे की आवश्यकता वाले बच्चो की संख्या. |

मध्यप्रदेश शासन

ग्रामोद्योग विभाग

**दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम-विभिन्न स्तरों पर (जिला/ब्लाक) प्रगति की समीक्षा हेतु निर्देश**

| कार्यक्रम/योजना का नाम | कमेटी जिसके द्वारा प्रबोधन एवं समीक्षा की जाना प्रस्तावित है | समिति में उपस्थित रहने वाला अधिकारी | समिति की कार्यवाही पर वरिष्ठ स्तर पर अधिकारी जो फालोअप/ परीक्षण करेगा |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| **6 (1) म. प्र. हस्तशिल्प विकास निगम की योजना (प्रशिक्षण) चयनित जिलों में** | | | |
| 1. प्रशिक्षण-प्रशिक्षणार्थियों का चयन | ब्लाक स्तर | सहायक प्रबंधक | प्रबंधक |
| 2. औजार एवं कर्मशाला अनुदान | जिला स्तर | प्रबंधक | मुख्यालय स्तर पर महाप्रबंधक विकास |
| निगम के कार्यक्रम/योजनाओं का विस्तार 36 जिलों में है. इसलिए उन्हीं जिलों में प्रबोधन एवं समीक्षा की जावेगी. | | | |
| **6 (2) हथकरघा संचालनालय की योजना** | | | |
| नये उद्यमियों को प्रशिक्षण | | | |
| 1. प्रशिक्षण | जिला स्तर | सहायक संचालक | परिक्षेत्रीय कार्यालय के संबंधित उप संचालक |
| हथकरघा संचालनालय के जिला स्तर अधिकारी 32 जिलों में है, अतः उन्हीं जिलों मे प्रबोधन एवं समीक्षा का कार्य किया जावेगा. | | | |
| **6 (3) खादी तथा ग्रामोद्योग पार्षद की योजना :—** | | | |
| अ. नवीन उद्यमियों के लिए | | | |
| 1. हितग्राहियों का चयन ठीक हुआ या नहीं | जिला स्तर | प्रबंधक | मुख्यालय स्तर पर महाप्रबंधक |
| 2. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग तथा बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता नियमानुसार एवं व्यवस्थित रुप से दी गई या नहीं. | जिला स्तर | प्रबंधक | मुख्यालय स्तर पर महाप्रबंधक |
| 3. इकाइयों की स्थापना वास्तव में हुई या नहीं | जिला स्तर | प्रबंधक | मुख्यालय स्तर पर महाप्रबंधक |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| **6 (4) रेशम विकास एवं प्रसार कार्यक्रम की योजनाएं (कल्पवृक्ष योजना)** | | | |
| 1. हितग्राहियों का चयन व्यवस्थित/सही ढंग से हुआ या नहीं | ब्लाक स्तर | फील्ड आफीसर | सहायक संचालक |
| 2. हितग्राहियों को अनुदान ठीक मिला या नहीं | ब्लाक स्तर | फील्ड आफीसर | सहायक संचालक |
| 3. हितग्राहियों को ककून का भुगतान ग्रेडेशन के अनुसार हो रहा है या नही | ब्लाक स्तर | फील्ड आफीसर | सहायक संचालक |
| 4. अधोसंरचना (भवन/अन्य) कार्यपूर्ण हुए या नहीं एवं समन्वय कार्य | जिला स्तर | सहायक संचालक | मुख्यालय स्तर पर संयुक्त संचालक |
| 5. उद्यमियों को बैंक से वित्तीय सहायता समय पर उपलब्ध कराना. | जिला स्तर | सहायक संचालक | मुख्यालय स्तर पर संयुक्त संचालक |
| 6. ग्राहकों/हितग्राहियों को नियमित विद्युत प्रदाय | जिला स्तर | सहायक संचालक | मुख्यालय स्तर पर संयुक्त संचालक |

**विभागाध्यक्षों/प्रबंध संचालकों को निर्देश :**

(1) ब्लाक/जिला स्तर के अधिकारी नियमित रूप से बैठकों में भाग लें इसे सुनिश्चित करना.

(2) प्रबोधन एवं समीक्षा कार्यों पर नियंत्रण रखने तथा अधिकारियों को सामयिक निर्देश देने को सुनिश्चित करना.

(3) विभिन्न कार्यक्रमों का प्रबोधन एवं समीक्षा को प्राथमिकता देना.

(4) विभिन्न कार्यक्रमों के लिए पंजी रखना एवं इसमें लक्ष्य/प्रगति का इन्द्राज करना.

(5) मासिक/त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन शासन को भेजना (मास/त्रैमास समाप्त होने पर 10 दिन में) इसमें कार्यक्रम, योजना का नाम, लक्ष्य व प्रगति (भौतिक, वित्तीय), हितग्राहियों की संख्या, उपलब्धियों में कमी के कारण, इन कारणों को दूर करने के उपाय तथा की गई कार्यवाही आदि का समावेश होना चाहिए.

(6) मध्यप्रदेश हस्त शिल्प विकास निगम द्वारा प्रदिवेदन हाथकरघा संचालनालय को भेजा जावेगा एवं संचालनालय परीक्षण कर शासन को भेजेगा.

(7) खादी एवं ग्रामोद्योग पर्षद द्वारा प्रदिवेदन हाथकरघा संचालनालय को भेजा जावेगा एवं संचालनालय परीक्षण कर शासन को भेजेगा.

(8) समितियों की बैठकों में उठायें गये प्रमुख मुद्दों का विवरण तथा क्या इन पर विभागाध्यक्षों से कार्यवाही/मार्गदर्शन अपेक्षित था तथा क्या यह कार्य किया गया. मासिक/त्रैमासिक प्रगति शासन को भेजते समय इसे भी भेजा जावे.

(9) कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए मुख्यालय स्तर पर नियमित बैठकों का आयोजन.

(10) अन्य ऐसा बिन्दू जो विभागाध्यक्ष शासन के ध्यान में लाना चाहे.

## मध्यप्रदेश शासन, नगरीय कल्याण विभाग

दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम के सूत्रों में संचालनालय नगरीय कल्याण की दो योजनाओं का समावेश किया गया है. सूत्र क्रमांक 2 (2) नेहरु रोजगार योजना तथा सूत्र क्रमांक 7 (2) झुग्गी-झोपड़ी वासियों के अस्थायी पट्टाधारियों का व्यवस्थापन. इन कार्यक्रमों की मासिक समीक्षा जिला स्तर पर गठित अन्त्योदय समिति द्वारा की जावेगी.

2. जिला स्तर पर गठित जिला अन्त्योदय समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु नगरीय कल्याण संचालनालय की ओर से परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण को अधिकृत किया जाता है. वे सभी बैठकों में भाग लेंगे तथा उपयुक्त योजनाओं के संबंध में वांछित माहिती बैठक में प्रस्तुत करेंगे. साथ ही उक्त कार्यक्रमों के संबंध में बैठक में लिये गये निर्णयों से संचालनालय को अवगत करायेंगे.

## मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम की जिला स्तरीय बैठकों में राजस्व विभाग की ओर से जिला स्तर के अधिकारी भाग लेंगे.

---

## दीनदलाय अंत्योदय कार्यक्रम से संबंधित मंत्री/अधिकारीगण

| क्रमांक | नाम | टेलिफोन नंबर | | निवास स्थान का पता |
|---|---|---|---|---|
| | | कार्यालय | निवास | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | श्री भेरूलाल पाटीदार, मंत्री | 552171 | 544166<br>544188 | 8, सिविल लाइंस, भोपाल |
| 2 | श्री धावरचंद गेहलोत, राज्य मंत्री | 550631<br>551310 | 550938 | बी-28, स्वामी दयानंद नगर, भोपाल |
| 3 | श्री व्ही. जी. निगम, अपर मुख्य सचिव | 551687 | 551936 | सी-22, शिवाजी नगर, भोपाल |
| 4 | श्री ए. के. भट्ट सचिव | 551742 | 553874 | बी-7, चार इमली, भोपाल |
| 5 | श्रीमती मधु हांडा, उप सचिव | 550966 | 564532 | ई-1/46, अरेरा कालोनी, भोपाल |
| 6 | श्री बी. एस. बघेल, अवर सचिव | 551532 | — | 1/80, जी-1100 क्वाटर्स, भोपाल |